

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक- 2223/बिजनौर/18982/2017, दिनांक, लखनऊ, जनवरी 23, 2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन,  
वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2,  
लखनऊ।

**विषय :** बिजनौर में धामपुर-नूरपुर मार्ग (एम0डी0आर0-03) किमी0 30.336 की बायीं पट्टी पर ग्राम-नूरपुर, तहसील-चांदपुर, के खसरा सं0 205/1 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के एम्पक मार्ग निर्माण हेतु 0.064318 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरव्यवसायिक प्रयोग की अनुमति।

**सन्दर्भ:** भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी/06/75/2017/एफसी/136, दि0 12.12.2017, उ0प्र0शासन का पत्रांक-भा0स0-309/14-2-2017-800(113)/2017, दि0 28.12.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दि0 14.08.2017 द्वारा इंगित सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव की प्रतियों शासन को वापस उपलब्ध कराने हेतु शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा निर्देश दिये गये थे। इंगित सूचनायें पूर्ण करने की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय व प्रयोक्ता एजेसी से अपेक्षित थीं।

उक्त के क्रम में प्रभागीय निदेशक, बिजनौर के पत्रांक-2267/14-1, दिनांक 17.01.2018 द्वारा इंगित सूचनाओं सहित संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किये गये हैं। अतः उक्त पत्र व संशोधित प्रस्ताव की दो प्रतियों एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर0 आर0 जमुआर)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- / , उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, बिजनौर।
- 3- डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए-5, से0-3, नोएडा।

(आर0 आर0 जमुआर)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक- 2223/बिजनौर/18982/2017, दिनांक, लखनऊ, जनवरी 23, 2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन,  
वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2,  
लखनऊ।

**विषय :** बिजनौर में धामपुर-नूरपुर मार्ग (एम0डी0आर0-03) किमी0 30.336 की बायीं पटरी पर ग्राम-नूरपुर, तहसील-चांदपुर, के खसरा सं0 205/1 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के इम्पक मार्ग निर्माण हेतु 0.064318 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

**सन्दर्भ:** भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी/06/75/2017/एफसी/136, दि0 12.12.2017, उ0प्र0शासन का पत्रांक-भा0स0-309/14-2-2017-800(113)/2017, दि0 28.12.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दि0 14.08.2017 द्वारा इंगित सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव की प्रतियाँ शासन को वापस उपलब्ध कराने हेतु शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा निर्देश दिये गये थे। इंगित सूचनायें पूर्ण करने की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय व प्रयोक्ता एजेंसी से अपेक्षित थीं।

उक्त के क्रम में प्रभागीय निदेशक, बिजनौर के पत्रांक-2267/14-1, दिनांक 17.01.2018 द्वारा इंगित सूचनाओं सहित संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किये गये हैं। अतः उक्त पत्र व संशोधित प्रस्ताव की दो प्रतियाँ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर0 आर0 जमुआर)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- / , उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, बिजनौर।
- 3- डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए-5, से0-3, नोएडा।

(आर0 आर0 जमुआर)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।